

(बी.) छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम 1995 :-
(धारा 62(1),(2),(घ) और (ज))

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ :-** यह नियम, छत्तीसगढ़ में देशी स्पिरिट के विनिर्माण, बोतल भराई, प्रदाय परिवहन आयात, निर्यात तथा विक्रय के लिए दिनांक 01 अप्रैल 1995 से प्रवृत्त होंगे ।
2. **परिभाषाएं :-** इस नियम के अंतर्गत देशी मदिरा से संबंधित 6 शब्दों की परिभाषा दी गई है जैसे - " भाण्डागार अधिकारी " - से अभिप्रेत है, ऐसा अधिकारी जो भाण्डागार के भारसाधक उपनिरीक्षक की पद श्रेणी (रैंक) से निम्न पद श्रेणी का न हो । इत्यादि
3. **अनुज्ञप्ति की मंजूरी :-** आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् देशी स्पिरिट के विनिर्माण, बोतल भराई और थोक प्रदाय के लिए **सी.एस. 1** में अनुज्ञप्ति 1,50,000/- रुपये वार्षिक लायसेंस फीस का भुगतान किए जाने पर मंजूर की जा सकेगी । यह ऐसी तारीख से प्रारम्भ होगी, जैसी कि इसमें विनिर्दिष्ट की जाए तथा ऐसी कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी जैसी की राज्य सरकार विनिश्चित करे, और ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए होगी जैसे कि आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए ।
4. **(क) निर्यात हेतु देशी स्पिरिट का विनिर्माण :-** किसी **डी-1** अनुज्ञप्तिधारक को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किये जाने वाली वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान किये जाने पर, केवल निर्यात हेतु देशी स्पिरिट का विनिर्माण तथा बोतल भराई करने के लिये, आबकारी आयुक्त द्वारा प्ररूप **सी.एस. 1-क** में अनुज्ञप्ति मंजूर की जा सकेगी ।
5. **विनिर्माण और बोतल भराई :-** देशी स्पिरिट, अच्छी गुणवत्ता (क्वालिटी) तथा ऐसे विनिर्देश की होगी जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा अवधारित किया जाए। तथा वह रासायनिक विश्लेषण के अधीन होगी
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बोतलों की सफाई, भराई, कार्क लगाना, सीलबन्द करना, लेबल लगाना, उनका स्टाफ करना तथा निर्गमन करना आबकारी आयुक्त के समाधानप्रद रूप में विनिर्माण भाण्डागार के भारसाधक अधिकारी के पर्यवेक्षण तथा निर्देशन के अधीन तथा आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देश अनुसार किया जाएगा ।
6. **प्रदाय :-** अनुज्ञप्तिधारी/फुटकर विक्रेता द्वारा मांग किये जाने और उसके लिये वसूलीय निर्गम मूल्य खजाने में संदाय किये जाने के सबूत पर अच्छी क्वालिटी का पेय स्पिरिट का प्रदाय ऐसी मात्रा में तथा ऐसी विहित शक्ति पर जैसा कि अपेक्षित हो फुटकर विक्रेता को करेगा ।
7. **परिवहन :-** कोई भी स्पिरिट जब तक कि उसके साथ आसवनी या (विनिर्माण भाण्डागार) जहाँ से वह अन्तरित किया गया हो के भारसाधक अधिकारी के द्वारा जारी पास न हो या विशेष पास द्वारा (विनिर्माण भाण्डागार) में उसकी प्राप्ति अधिकृत नहीं की गई हो या आयात होने की दशा में आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर विहित अधिकारी या ऐसे व्यक्ति द्वारा जारी पास न हो (विनिर्माण भाण्डागार) पर प्राप्त नहीं की जाएगी ।
8. **आयात :-** आबकारी आयुक्त के प्राधिकार के बिना इस राज्य में स्पिरिट का आयात नहीं किया जाएगा । आबकारी आयुक्त ऐसी शर्तों तथा पास का प्ररूप विहित कर सकेगा जिसके अधीन ऐसी देशी स्पिरिट का आयात किया जा सकेगा ।
9. **निर्यात :-** आबकारी आयुक्त, आवेदन प्राप्त होने पर तथा ऐसी जांच के पश्चात् जैसी की वह आवश्यक समझे तथा समाधान हो जाने पर इस राज्य से देशी स्पिरिट का निर्यात अनुज्ञात कर सकेगा ।

10. **विक्रय** :- कलेक्टर द्वारा (प्ररूप सी.एस. 2-घ) में जारी की गई अनुज्ञप्ति की अधीन देशी मदिरा का फुटकर विक्रय सीलबंद बोतलो में किया जा सकेगा ।
11. **अनुज्ञेय छीजन** :- विभिन्न प्रकार की अनुज्ञेय छीजन और शक्ति की अंतर की मात्रा ऐसी होगी जैसी कि छत्तीसगढ़ आसवनी नियम, 1993 नियम-6 में उपबंधित की गई है ।
10. **(क) सीलबंद बोतलो के परिवहन में हानियों का अनुज्ञेय सीमा** :- देशी मदिरा के विनिर्माण भाण्डागार से भण्डारण के भाण्डागार तक बोतलो में भरी देशी मदिरा के परिवहन में चढाने उतारने उठाने रखने में टुट फुट द्वारा हुई वास्तविक हानियों के लिए अनुज्ञेय हानि की अनधिक सीमा , यदि विनिर्माण भाण्डागार एवं भण्डारण के भाण्डागार एक ही जिले में स्थित है तो अधिकतम हानि की सीमा 0.1 प्रतिशत तथा पृथक पृथक जिले में स्थित हो तो अधिकतम हानि की सीमा 0.25 प्रतिशत रहेगी ।
11. अनुज्ञप्तिधारी ऐसे सामान्य या विशेष आदेशों से आबद्ध होगा जैसे कि आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं ।
12. **शास्तियाँ** :- **सी.एस. 1**, अनुज्ञप्ति की शर्तों के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और जहाँ इन नियमों के किसी अन्य शास्ति के लिये अभिव्यक्त रूप से उपबंध किया गया हो उसके सिवाय आबकारी आयुक्त **सी.एस. 1**, अनुज्ञप्तिधारी पर इन नियमों में से किसी नियम या आबकारी आयुक्त के किसी आदेश के भंग या उल्लंघन के लिये 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये) से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा और ऐसे उल्लंघन के लगातार चालू रहता है 1000/- (एक हजार) से अनधिक की अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।
13. **भाण्डागार के संयंत्र अतिशेषों का व्ययन** :- **सी.एच. 1**, अनुज्ञप्ति का अवसान होने पर भाण्डागार हेतु स्वीकृत समस्त संयंत्रों को जिनमें कुण्ड कार्क लगाने, कैप्सूल लगाने , लोप मशीने आदि सम्मिलित हैं, बर्हिगामी अनुज्ञप्तिधारी ऐसे मूल्य पर जो कि आबकारी आयुक्त द्वारा इस प्रयोजन के लिए मूल्यांकन समिति द्वारा नियत की गई हो, विक्रय करेगा और अर्न्तगामी अनुज्ञप्तिधारी क्रय करेगा ।
14. **निरसन** :- इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम जो उनके प्रारंभ से तत्काल पूर्व प्रवृत्त हो, इन नियमों के अर्न्तगत आने वाले मामलों के सम्बंध में, एतद्वारा निरस्त किए जाते हैं ।